

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 468]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 18 सितम्बर 2015— भाद्रपद 27, शक 1937

वित्त विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 18 सितम्बर 2015

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-34/2015/स्था./चार.— छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2005 (क्रमांक 24 सन् 2015) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, राज्य के समस्त जिला मजिस्ट्रेट को उनके जिले में उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करती है।

No. F 1-34/2015/Estt./Four.— In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Chhattisgarh Protection of Depositors Interest Act, 2005 (No. 24 of 2015), the State Government, hereby, appoints all District Magistrates in the State as Competent Authority within their district for the purposes of the said Act.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, विशेष सचिव.